नया पा.पा.आ. न	नया	पी.पी.ओ.	ਜਂ
----------------	-----	----------	----



पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र

	जीवन प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि मैने पेंश	नर (पेंशनर का नाम)
पिता/पति का नाम	जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या का धारक है,
देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।	
स्थानःदिनांकः	
हस्ताक्षर पेंशनर	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मुहर के
नियो	जित होने / नहीं होने का प्रमाण-पत्र
	केन्द्र / राज्य सरकार के किसी विभाग में या केन्द्र / राज्य सरकार की किसी काय, कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति या किसी संस्था में किसी हूँ।
(ख) मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैं प्राप्त हुई है।	ने स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियोजन स्वीकार किया है तथा परिलब्धियां रूपये
स्थान:	
दिनांक:	
	हस्ताक्षर पेंशनर
पुनर् <u>व</u> ि	वाह/विवाह न करने का प्रमाण-पत्र
X	
में एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने	गत् छह माह में विवाह नहीं किया है/मेरा विवाह नहीं हुआ है।
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने हूँ।	पुर्नविवाह नहीं किया है ऐसी घटना की सूचना देने लिए मैं प्रतिवचन देता / देती
स्थान:	
दिनांकः	
मैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आ	हस्ताक्षर पेंशनर धार पर उक्त घोषणा को सही होने के रूप में प्रमाणित करता/करती हूँ।
स्थानः	उत्तरदायी अधिकारी या सुविधित व्यक्ति के हस्ताक्षर
दिनांकः	नामः
	पदः
पेंशनर का नामः	
वर्तमान पताः	
टेलिफोंन नं:	
पी.पी.ओ. नम्बर(नया):	

नोटः— कृपया पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर 30 नवम्बर, 20..... तक जीवित प्रमाण पत्र संस्थापन शाखा में जमा करायें अन्यथा नियमानुसार देय पेंशन रोकने संबंधी कार्यवारी कार्यालय द्वारा की जायेगी।